न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 106/2025 G.C.M.S. No. 2025/593 दर्ज दिनांक : 28.08.2025

अपीलार्थी:

1. हरिसिंह पुत्र सूरतसिंह, जाति रावत, निवासी रोडावास, तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कंवरीबाई पत्नि विरदसिंह
2. विरदसिंह पुत्र जगेसिंह, जातिगण रावत, तहसील सोजत, जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत सिटी, जिला पाली।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2022 बअनवान कंवरीबाई वगैरह बनाम हरिसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963</u>

<u>पैरोकार–</u>

1. श्री श्रवणसिंह चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र दवे, श्री सुनील दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2022 बअनवान कंवरीबाई वगैरह बनाम हरिसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रोडावास मे अपनी जोत में पहुँचने के लिए अपनी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 842, रकबा 0.4200 हैक्टेयर, किस्म बॉरानी दोयम सरहद मौजा ग्राम रोडावास पटवार क्षेत्र गुडाकला भू: अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र गुडा कला तहसील की जोत मे जाने हेतु नया मार्ग अप्रार्थी संख्या 01 व 02 यानि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की खातेदारी खसरा संख्या 843, रकबा 0.1500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 843/1 हैक्टेयर रकबा 1.000 हैक्टेयर में से अपनी खातेदारी भूमि मे जाने हेतु आशय रखे हुए प्रस्तुत किया जिस पर उक्त प्रकरण दिनांक 31/10/2022 को दर्ज होकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलाण्ट को नोटिस प्राप्त होने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 22/04/2025 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता कुन्दनसिंह सांदु को नियुक्त किया तथा अधिवक्ता कुन्दनसिंह सांदू द्वारा दिनांक 22/04/2025 को अण्डर टेकिंग दी परन्तु अधिवक्ता कुन्दनसिंह द्वारा दिनांक 20/05/2025 को उपस्थित नही हुए और न ही अपीलाण्ट की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया जिससे दिनांक 20/05/2025 को माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 02/06/2025 को खसरा नम्बर 843 व अपीलांण्ट के खसरा 843/1 मे से रास्ता दिये जाने हेतु बाबत आदेश पारित किया गया। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर जैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 का पूर्व से आवागमन सरकारी भूमि मे से होकर निरंतर चला आ रहा है और रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 द्वारा उसका कदिमी से उपयोग उपभोग किया जा रहा है इस कारण नये रास्ते की कानुनन मांग नही कर सकते। मौके की स्थिति की रिपोर्ट सही रूप से तैयार नही की गयी जबकि खसरा नम्बर 842 व 843 के पास स्थित खसरा संख्या 929 मे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 का मकान है जिससे सीधा रास्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के खेत खसरा नम्बर 842 मे जाता है च रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के मकान से सीधा आम रास्ते मे जाता है। मात्र खानापूर्ति कर खसरा नम्बर 843 की भूमि को हडपने व अपीलाण्ट की भूमि से रास्ता दिये जाने की नियत से तैयार की गयी है। मौका रिपोर्ट विधि अनुसार तैयार नही की गयी है एंव नियम 18 व 21 की पालना नही की गयी है और न ही मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार की गयी है और न ही रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के घर से खसरा नम्बर 842 के जाने के रास्ते व उक्त रास्ते के आगे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के घर से सीधे आम रास्ते मे जाने वाले तथ्यो का उल्लेख नही किया गया है मात्र खानापूर्ति कर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है एवं विधि विरूद्ध तरीके से तैयार की गयी है मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट की जोत खसरा नम्बर 843/1 भूमि 1.0000 हैक्टेयर है। अपीलाण्ट की जोत मे से रास्ता दिया जाता है तो अपीलाण्ट की भूमि कम हो जायेगी। अपीलाण्ट की रोजी रोटी का जरिये उक्त कृषि भूमि ही है तथा अपीलाण्ट की कृषि भूमि से रास्ता दिये जाने से उक्त कृषि भूमि, कृषि भूमि योग्य नहीं रहेगी। प्रार्थी को उक्त निर्णय के बारे मे कोई जानकारी नही थी तथा प्रार्थी के बीमार होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सका तथा दिनांक 17/08/2025 को अनजान व्यक्ति प्रार्थी के घर आया और प्रार्थी से कहा की आपके खेत के मुआवजे क चौक आया है। इस कारण हस्ताक्षर करो परन्तु प्रार्थी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तब उस व्यक्ति ने कहा की मै कोर्ट से आया हूँ और फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिसने कहा की आपके विरूद्ध आदेश पारित हुआ है। आप चौक ले लो फिर आप चाहे तो अपील करना। तब प्रार्थी को आश्चर्य हुआ और प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता कुन्दनसिंह सांदू को फोन किया लेकिन उन्होने फोन नही उठाया तथा प्रार्थी ने उस व्यक्ति को कहा कि वह कल सोजत जाकर अपने अधिवक्ता से बात करेगा फिर प्रार्थी दिनांक 18/08/2025 को सोजत आकर तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने की कोशिश की परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी का कॉल रिसिव नही किया तो प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय मे गया और नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी को दिनांक 19/08/2025 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई तथा दिनांक 21/08/2025 को प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय निर्णय की प्रमाणित प्रति मिलीं। जिससे उक्त प्रकरण की पत्रावली को देखने पर प्रार्थी को जानकरी हुई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपनी खातेदारी आराजी ग्राम रोड़ावास तहसील सोजत के खसरा संख्या 842 की आराजी तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 843, 843/1 में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.06.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 28.08.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी को उक्त निर्णय के बारे मे कोई जानकारी नही थी तथा प्रार्थी के बीमार होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सका तथा दिनांक 17/08/2025 को अनजान व्यक्ति प्रार्थी के घर आया और प्रार्थी से कहा की आपके खेत के मुआवजे क चौक आया है। इस कारण हस्ताक्षर करो परन्तु प्रार्थी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तब उस व्यक्ति ने कहा की मै कोर्ट से आया हूँ और फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करवाई जिसने कह की आपके विरूद्ध आदेश पारित हुआ है। आप चौक ले लो फिर आप चाहे तो अपील करना। तब प्रार्थी को आश्चर्य हुआ और प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता कुन्दनसिंह सांदू को फोन किया लेकिन उन्होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

फोन नहीं उठाया तथा प्रार्थी ने उस व्यक्ति को कहा कि वह कल सोजत जाकर अपने अधिवक्ता से बात करेगा फिर प्रार्थी दिनांक 18/08/2025 को सोजत जाकर तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने की कोशिश की परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी का कॉल रिसिव नहीं किया तो प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में गया और नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी को दिनांक 19/08/2025 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई तथा दिनांक 21/08/2025 को प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय निर्णय की प्रमाणित प्रति मिली। जिससे उक्त प्रकरण की पत्रावली को देखने पर प्रार्थी को जानकारी हुई। अतः अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजदूगी में पारित किया गया है तथा प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित सारवान प्रश्न विद्यमान है तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्‌भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में भू.अ.नि. गुडा कलां द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व समय व दिनांक का निर्धारण नहीं किया गया तथा न ही पक्षकारान को मौके पर उपस्थिति हेतु सूचित किया गया। मौका रिपोर्ट के पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक व दिनांक के कॉलम रिक्त होने से इसकी पुष्टि होती हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में भू.अ.नि. द्वारा पक्षकारान की गैर मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। भू.अ.नि. द्वारा मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया। जबकि भू.अ.नि. द्वारा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित किए जाने अपेक्षित थें ताकि न्यायालय द्वारा निकटतम दूरी के विकल्प का निर्धारण किया जाकर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाता। लेकिन मौका रिपोर्ट में उक्त का अभाव पाया गया। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट में अंकित सी से डी मौके पर चलायमान रास्ता अंकित किया गया है। जो आगे खसरा संख्या 757 गैर मुमकिन सेरिया से मिलता है। ग्राम गुडाकलां के भू-नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 842 सहित खसरा संख्या 843 व 843/1 की दक्षिण सीमा के सहारे खसरा संख्या 929 गैर मुमकिन गोचर भूमि हैं तथा प्रस्तावित मौके पर चलायमान रास्ता सी से डी खसरा संख्या 843/1 की पूर्वी सीमा से लगती हुई खसरा संख्या 929 गैर मुमकिन गोचर में से चलायमान है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त गोचर भूमि में से अपनी आराजी खसरा संख्या 842 तक आवागमन कर सकता है। लेकिन संबंधित भू.अ.नि. द्वारा उक्त समस्त तथ्यों की जांच किए बिना अपूर्ण जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

गौर किए बिना उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जो पुष्टि योग्य नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2022 बअनवान कंवरीबाई वगैरह बनाम हरिसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने के अधिकतम 2 अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण 60 दिवस में विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.02.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner